

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 15-02-19

संख्या-5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-993 विभागीय अधिसूचना संख्या-512 दिनांक 22.01.19 के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अधीन बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन संबंधी निर्गत आदेश को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(रंजीत कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 993 पटना, दिनांक- 15-02-19

5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(रंजीत कुमार)

सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक- 993 पटना, दिनांक- 15-02-19

सं0सं0- 5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-

प्रतिलिपि :-

- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना ।
- (2) प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना
- (3) निदेशक, उद्योग निदेशालय/खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
- (4) निदेशक, तुकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
- (5) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना ।
- (6) मा0 मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना ।
- (7) प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
- (8) अपर सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना
- (9) आई.टी.मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित ।

  
(रंजीत कुमार)

सरकार के उप सचिव।